

श्री. राजेश कुमार शर्मा
 सहायक कलेक्टर
 बाप (जायपुर)

२२

मुख्यालय शेखासर में स्थानाया गया।
 नियम आज दिनांक 15/6/17 को मजस आम आम पदायत
 ही। दखिल दफतर ही।

पदा अलग से जारी ही। पत्रावली फंसल शमार होकर नबर से कम
 लता रूस में तस्मीम किये जाने की कार्यवाही की जावे। हिकी
 करे। उक्त खातेदारों के अलग-अलग खाते कायम कर नस्था
 के विमानन अनुसार राजस्व रेकड में अमल दरासद की कार्यवाही
 जावेगा। तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उक्त मस
 प्रस्ताव के साथ संलग्न नजदी नस्था नियम का अभिन्न अंग माना
 ग्राम बंधी पटवार हल्का शेखासर के उक्त खसरो में विमानन
 नस्था अनुसार रखी जाती है।

के बट में खसरा नंबर 295 रकबा 60.15 बी-4 मसि संलग्न नजदी
 (2) बादीनी शानि पति गुंराम जाति भववाल सा. देह खातेदार
 संलग्न नजदी नस्था अनुसार रखी जाती है।

खातेदार के बट में खसरा नंबर 295 रकबा 8.15 बी-4 मसि
 (1) प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र पि. गुंराम जाति गुंरुडा सा. देह
 प्रस्ताव की निमानुसार स्वीकार किया जाता है:-

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत उक्त विमानन प्रस्ताव को
 बादीनी एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किये जाने पर विमानन
 काई उजर ऐतराज जाहिर नहीं किया।

को है। किसी भी पक्षकार ने उक्त विमानन प्रस्ताव के संबंध में
 मजस आम में विमानन प्रस्ताव सही होने में अपनी सहमति जाहिर
 पठकर सुनाई गई एवं समझाई गयी। बादीनी एवं प्रतिवादीगण ने
 विमानन प्रस्ताव में लिखी इबादत बादीनी एवं प्रतिवादीगण को
 हुआ। जो शामिल मिल लिया गया। तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत
 प्रतिवादीगण उपस्थित। तहसीलदार बाप से विमानन प्रस्ताव प्राप्त
 द्वारा-2017 केम शेखासर में पेश हुई वकील बादीनी एवं
 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपक

नबर व
 तारीख
 अहकाम
 जो इस
 हुकम की
 तामील में
 जारी हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स लज

15/6/17

नबर व
 अहकाम
 की
 में जा